

संचिका सं०-10/विविध-15-02/2014...../  
बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

बिहार स्वास्थ्य सेवा के पुनर्गठन के निमित्त विभिन्न कोटि के पदों की संख्या का पुनर्निर्धारण के साथ-साथ पद सृजन की स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या-378(10), दिनांक-21.07.2014 से दी गई थी, जिससे संबंधित अधिसूचना संख्या-807(10), दिनांक-16.10.2015 की कंडिका-1 की उप कंडिका-(ख) में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी का वेतन भुगतान के निमित्त "विपत्र कोड-N2211000010104" की जगह "विपत्र कोड-P2211000010104" संस्थापित किया जाता है।


शेष यथावत रहेंगे।

ह०/-  
(शेखर चन्द्र वर्मा)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-10/विविध-15-02/2014 860(10)/स्वा०, पटना, दिनांक:- 25-11-15

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/विकास आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ सभी सिविल सर्जन/सभी कोषागार/सभी उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 3, 7, 10 एवं आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।